NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 21-11-2026

विषय सूची

वैश्विक शांति के आधार के रूप में सांस्कृतिक समन्वय

विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट, 2026

पराली दहन के आकलन में केवल खेतों में आग लगने की घटनाओं की गणना से आगे बढ़ना

दिल्ली के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधियाँ, 2026

संक्षिप्त समाचार

- रानी लक्ष्मीबाई
- पिछवाई चित्रकला
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम
- भारत में टेलीविजन प्रसारण का बदलता स्वरूप
- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA), 2026

वैश्विक शांति के आधार के रूप में सांस्कृतिक समन्वय

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के पुराना किला में आयोजित प्रथम SCO सभ्यतागत संवाद मंच को संबोधित करते हुए इस बात पर बल दिया कि सांस्कृतिक संबंध वैश्विक शांति की स्थापना का एक सशक्त आधार हैं।

SCO सभ्यतागत संवाद मंच के बारे में

- **उत्पत्ति :** यह पहल वर्ष 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा SCO के ढाँचे के अंतर्गत सभ्यतागत संवाद हेतु एक समर्पित मंच स्थापित करने के प्रस्ताव पर आधारित है।
- **संस्थागत समर्थन :** इस प्रस्ताव को SCO की बिश्केक घोषणा में मान्यता प्रदान की गई।
- **उद्देश्य :** साझा ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंधों के माध्यम से SCO सदस्य देशों के बीच पारस्परिक समझ, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहयोग को सुदृढ़ करना।

भारत द्वारा प्रस्तुत प्रमुख प्रस्ताव

- **प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण एवं अनुवाद:** SCO देशों के संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में संरक्षित प्राचीन पांडुलिपियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरावशेषों का संयुक्त रूप से डिजिटलीकरण और अनुवाद करना।
- **साझा विरासत का प्रदर्शन:** इस मंच पर ASTITVA – The Essence of Our Existence (अस्तित्व – हमारे अस्तित्व का सार) नामक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें भारत की पुरातात्त्विक, कलात्मक एवं साहित्यिक विरासत को प्रदर्शित किया गया।
- **सांस्कृतिक मार्गों का विकास:** प्राचीन रेशम मार्ग एवं बौद्ध विरासत से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने वाले सांस्कृतिक मार्गों और विरासत परिपथों का विकास करना।

पुराना किला के बारे में

- पुराना किला 16वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक दुर्ग है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी और दूसरे मुगल सम्राट हुमायूँ के काल से संबंधित है।
  - वर्ष 1533 ई. में हुमायूँ ने दिल्ली में अपनी नई राजधानी दीनपनाह के एक भाग के रूप में एक किलेबंद परिसर का निर्माण प्रारंभ करवाया।
  - हुमायूँ को पराजित करने के बाद शेरशाह सूरी ने इस किले पर अधिकार कर लिया तथा इसकी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया और कई अन्य संरचनाओं का निर्माण करवाया।
  - वर्ष 1555 ई. में हुमायूँ ने सूरी वंश को पराजित कर दिल्ली और इस किले पर पुनः अधिकार स्थापित किया।

किले के अंदर स्थित प्रमुख स्मारक

- **किला-ए-कुहना मस्जिद :** इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा वर्ष 1541 ई. में करवाया गया था।
- **शेर मंडल :** यह शेरशाह सूरी के काल में निर्मित अष्टकोणीय, दो मंजिला इमारत है। परंपरागत रूप से इसे हुमायूँ के पुस्तकालय से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि वर्ष 1556 में इसी स्थान पर सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूँ की मृत्यु हुई थी।
- **बड़ा दरवाजा :** यह किले का प्रमुख पश्चिमी प्रवेश द्वार है, जो इसकी भव्य एवं सुदृढ़ रक्षात्मक वास्तुकला को प्रदर्शित करता है।

सांस्कृतिक संबंध क्या हैं?

- सांस्कृतिक संबंधों से तात्पर्य विभिन्न समाजों के बीच विचारों, मूल्यों, परंपराओं, भाषाओं, कला, साहित्य, ज्ञान एवं विश्वासों के आदान-प्रदान से है।
- यह सॉफ्ट पावर का एक महत्त्वपूर्ण साधन है, जो जन-से-जन संपर्क, शैक्षिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कूटनीति तथा साझा विरासत के संरक्षण के माध्यम से पारस्परिक समझ और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है।

सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने वाली भारतीय पहलें

- **बौद्ध कूटनीति :** भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलनों, बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार तथा बौद्ध तीर्थयात्रा परिपथों के विकास के माध्यम से अपनी साझा बौद्ध विरासत को बढ़ावा देता है।
- **अंतरराष्ट्रीय योग दिवस :** भारत की पहल के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है।
- **परियोजना मौसम :** यह संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक समुद्री व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को पुनः जोड़ना है।

- **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR):** यह छात्रवृत्तियों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शैक्षणिक सहयोग तथा विदेशों में सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है।
- **भारत को जानें कार्यक्रम :** यह भारतीय मूल के युवा व्यक्तियों को भारत के इतिहास, संस्कृति, आर्थिक विकास और समकालीन समाज को समझने का अवसर प्रदान करता है।

सांस्कृतिक कूटनीति के समक्ष चुनौतियाँ

- **भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ :** राजनीतिक तनाव और सुरक्षा संबंधी विवाद सांस्कृतिक सहयोग को कमजोर कर सकते हैं, जैसा कि विभिन्न देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में देखा जाता है।
- **सांस्कृतिक एवं धार्मिक असहिष्णुता :** पूर्वाग्रह, उग्रवाद तथा पहचान-आधारित संघर्ष अंतर-सांस्कृतिक समझ के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **सांस्कृतिक समरूपीकरण :** वैश्वीकरण और प्रमुख भाषाओं के प्रभुत्व से स्थानीय संस्कृतियों, क्षेत्रीय भाषाओं तथा पारंपरिक ज्ञान पर संकट उत्पन्न हो रहा है।
- **डिजिटल विभाजन :** प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल अवसंरचना तक असमान पहुँच सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रसार हेतु सहयोगात्मक प्रयासों को सीमित करती है।

निष्कर्ष

- सांस्कृतिक संबंध अपने आप में भू-राजनीतिक संघर्षों को समाप्त नहीं कर सकते, किंतु वे विश्वास, पारस्परिक सम्मान और संवाद का ऐसा वातावरण निर्मित कर सकते हैं, जिसमें संघर्षों के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है।
- भारत के *वसुधैव कुटुम्बकम् (संपूर्ण विश्व एक परिवार है)* के दर्शन के अनुरूप, सांस्कृतिक कूटनीति पारंपरिक कूटनीति की पूरक बनकर अधिक शांतिपूर्ण, समावेशी और सहयोगात्मक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- **उत्पत्ति :** वर्ष 1996 में पूर्व सोवियत संघ के चार गणराज्यों और चीन के बीच सीमा निर्धारण एवं विसैन्यीकरण संबंधी वार्ताओं की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप 'शंघाई फाइव' का गठन हुआ।
- **शंघाई फाइव के सदस्य:** कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान इसके सदस्य थे।
  - वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के इस समूह में शामिल होने के बाद शंघाई फाइव का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) कर दिया गया।
- **उद्देश्य :** मध्य एशियाई क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद पर अंकुश लगाने के प्रयासों हेतु क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- **सदस्य देश :** चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस तथा मध्य एशिया के चार देश—कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
  - भारत वर्ष 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना तथा वर्ष 2023 में इस संगठन की घूर्णन अध्यक्षता (Rotating Chairmanship) संभाली।
- **पर्यवेक्षक देश :** अफगानिस्तान और मंगोलिया।
- **भाषा :** SCO की आधिकारिक भाषाएँ रूसी और चीनी हैं।
- **संरचना :** SCO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (CHS) है, जिसकी बैठक वर्ष में एक बार आयोजित होती है।
  - इस संगठन के दो स्थायी निकाय हैं:
    - **सचिवालय :** बीजिंग, चीन में स्थित है।
    - **क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना की कार्यकारी समिति (RATS):** ताशकंद, उज्बेकिस्तान में स्थित है।

स्रोत: TH

विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट, 2026

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने अपनी प्रमुख वार्षिक **विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट (SOWP) 2026** जारी की है। इसका शीर्षक है— **"Succeeding Generations: Empowering Young People to Chart the Future" (भावी पीढ़ियाँ: युवाओं को अपना भविष्य निर्धारित करने हेतु सशक्त बनाना)।**

रिपोर्ट के बारे में

- SOWP, UNFPA का प्रमुख वार्षिक प्रकाशन है, जिसे वर्ष 1978 से प्रकाशित किया जा रहा है।
- इसमें जनसंख्या संबंधी प्रवृत्तियों, मानवाधिकारों तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को शामिल किया जाता है।
- वर्ष 2026 का संस्करण UNFPA के *जनसांख्यिकीय भविष्य सर्वेक्षण* पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में 73 देशों के 18-39 वर्ष आयु वर्ग के 1,08,000 से अधिक इंटरनेट से जुड़े वयस्कों को शामिल किया गया, जिनमें भारत के 1,722 लोग शामिल थे।

- यह रिपोर्ट वर्ष 2025 के संस्करण **"The Real Fertility Crisis" (वास्तविक प्रजनन संकट)** पर आधारित है। इस रिपोर्ट में तर्क दिया गया था कि वास्तविक समस्या जनसंख्या का बहुत अधिक या बहुत कम होना नहीं, बल्कि लोगों का अपनी इच्छानुसार बच्चों की संख्या तय करने में असमर्थ होना है।

भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति

- **जनसंख्या :** वर्ष 2026 में भारत की जनसंख्या लगभग 147.66 करोड़ अनुमानित है, जबकि वर्ष 2025 में यह लगभग 146 करोड़ थी। भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना हुआ है। चीन की जनसंख्या लगभग 141.29 करोड़ है।
- **जनसंख्या दोगुनी होने का समय :** भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में लगभग 81 वर्ष लगने का अनुमान है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह अवधि 84 वर्ष है।
- **जनसंख्या का चरम स्तर :** भारत की जनसंख्या आगामी लगभग 40 वर्षों में बढ़कर करीब 170 करोड़ तक पहुँचने और उसके बाद घटने की संभावना है।
- **प्रजनन दर :** भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 1.9 है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है। (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, 2019-21 के अनुसार यह लगभग 2.0 थी।)
- **आयु संरचना :**
  - 24% भारतीय जनसंख्या 0-14 वर्ष आयु वर्ग में है।
  - 26% जनसंख्या 10-24 वर्ष आयु वर्ग में है।
  - 69% जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग (15-64 वर्ष) में है।
  - 8% जनसंख्या 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की है।
- **जीवन प्रत्याशा :** पुरुषों की जीवन प्रत्याशा लगभग 71 वर्ष तथा महिलाओं की लगभग 74 वर्ष है।

प्रमुख निष्कर्ष

वैश्विक स्तर पर :

- अधिकांश युवा वयस्क अभी भी विवाह को आदर्श मानते हैं और संतान चाहते हैं। हालाँकि, आर्थिक कठिनाइयाँ और आवास संबंधी समस्याएँ स्वतंत्र रूप से रहने तथा वैवाहिक संबंध स्थापित करने के निर्णय को प्रभावित करती हैं।
- लगभग 72% लोगों ने आर्थिक एवं आवास संबंधी बाधाओं को संतान प्राप्त करने में प्रमुख अवरोध बताया।
- प्रत्येक पाँच में से एक युवा न तो रोजगार में है, न शिक्षा में और न ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है (NEET – रोज़गार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं)।
  - युवा महिलाओं में यह अनुपात बढ़कर 27% है।
  - दिव्यांग युवाओं में यह अनुपात 49% है।
- 18-30 वर्ष आयु वर्ग के लोग विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 19% हैं, लेकिन संसदों में उनकी हिस्सेदारी केवल 2.8% है।
- विकास सहायता समिति (DAC) के सदस्य देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली आधिकारिक विकास सहायता (ODA) में वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 23% की गिरावट दर्ज की गई। इससे गरीब देशों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा कार्यक्रम प्रभावित होने का खतरा है।

भारत के संदर्भ में :

- **आशावादी, किंतु चिंतित :** भारत के 83% उत्तरदाता भविष्य को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसके साथ ही अनेक लोग संघर्षों, आर्थिक असुरक्षा और असमानता को लेकर चिंतित हैं।
- **इच्छा बनाम वास्तविकता :** 18-39 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएँ आदर्श परिवार में बच्चों की संख्या 2.1 बताती हैं। इसके बावजूद 35-39 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 85% निःसंतान उत्तरदाताओं ने भविष्य में माता-पिता बनने की इच्छा व्यक्त की।
- **स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति :**
  - मातृ मृत्यु दर घटकर प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 87 हो गई है।
  - लगभग 91% प्रसव प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की सहायता से संपन्न होते हैं।
- **गर्भनिरोधक संबंधी चिंताएँ :** आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों के उपयोग में कमी आई है, जबकि पारंपरिक विधियों के उपयोग में वृद्धि हुई है। यह परामर्श एवं सेवाओं तक पहुँच में विद्यमान कमियों को दर्शाता है।
- **डिजिटल विभाजन :** भारत में केवल लगभग 64% महिलाओं के पास मोबाइल फोन है। इस संबंध में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच व्यापक अंतर विद्यमान है।

भारत के लिए इसका महत्त्व क्यों है?

- **जनसांख्यिकीय लाभांश समयबद्ध है :** बड़ी कार्यशील आयु वाली जनसंख्या तभी आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है, जब लोगों के पास पर्याप्त रोजगार एवं आवश्यक कौशल हों। ऐसा न होने पर यही जनसंख्या आर्थिक भार बन सकती है।
- **विमर्श का केंद्र संख्या से बदलकर व्यक्तिगत विकल्पों पर आ रहा है:** प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आने के कारण पुरानी जनसंख्या नियंत्रण संबंधी सोच अब प्रासंगिक नहीं रह गई है। अब प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या लोग अपनी इच्छानुसार और अपनी सुविधानुसार बच्चों की संख्या तय कर पा रहे हैं। यह रोजगार, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है।

- **युवा महिलाओं के समक्ष दोहरी चुनौती :** लड़कियों एवं युवा महिलाओं के NEET श्रेणी में शामिल होने की संभावना अधिक है। साथ ही, वे ऑनलाइन दुर्व्यवहार के प्रति भी अधिक संवेदनशील हैं। कई परिवार उनकी डिजिटल गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। इन समस्याओं का समाधान न होने पर जनसांख्यिकीय लाभांश का वितरण असमान रहेगा।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ व्यापक हैं :** विभिन्न राज्यों में प्रजनन दर, गर्भनिरोधक साधनों तक पहुँच तथा स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में व्यापक अंतर है। कुछ दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से काफी कम है, जबकि कुछ उत्तरी राज्यों में यह इससे अधिक है। इसलिए एक समान राष्ट्रीय नीति सभी राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **शिक्षा एवं रोजगार के बीच असंगति :** केवल शैक्षणिक डिग्री अब सुरक्षित रोजगार की गारंटी नहीं देती। अनेक युवा अनौपचारिक एवं गिग अर्थव्यवस्था के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, जहाँ उन्हें बीमारी के दौरान वेतन, बीमा अथवा सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएँ प्राप्त नहीं होतीं। इनमें से अनेक रोजगार स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के कारण प्रभावित होने की आशंका है।
- **प्रौद्योगिकी-सक्षम लैंगिक हिंसा:** डीपफेक, ऑनलाइन उत्पीड़न तथा AI द्वारा निर्मित आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों की तुलना में अधिक तीव्रता से बढ़ रहा है।
- **सीमित शारीरिक स्वायत्तता एवं अपर्याप्त परामर्श :** प्रभावी परामर्श के अभाव में महिलाएँ कम प्रभावी गर्भनिरोधक विधियों पर निर्भर हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनचाहे गर्भधारण की घटनाएँ बढ़ती हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य :** वैश्विक स्तर पर किशोरों पर पड़ने वाले कुल रोग भार में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की हिस्सेदारी लगभग 19% है, जबकि युवाओं के लिए उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ अपर्याप्त हैं।
- **युवाओं की प्रतीकात्मक भागीदारी :** सार्वजनिक मंचों पर युवाओं की भूमिका की प्रशंसा तो की जाती है, लेकिन विधायिकाओं, बोर्डों और नीतिगत मंचों पर वास्तविक निर्णय प्रक्रिया में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।
- **सहायता एवं वित्तपोषण में गिरावट :** विकास सहायता में कटौती से स्वास्थ्य एवं शिक्षा कार्यक्रम प्रभावित होते हैं, विशेष रूप से बालिकाओं और दिव्यांग युवाओं से संबंधित कार्यक्रम।

सरकारी पहलें

- **शिक्षा एवं कौशल विकास :**
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP 2020)।
  - कौशल भारत मिशन।
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)।
  - प्रशिक्षुता संवर्धन।
- **स्वास्थ्य :**
  - **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK):** किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु।
  - **मिशन परिवार विकास :** उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में परिवार नियोजन सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु।
  - **जननी सुरक्षा योजना :** संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु।
  - **आयुष्मान भारत :** स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच एवं उपलब्धता में सुधार हेतु।
- **श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा :**
  - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मान्यता प्रदान की गई है।
  - ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण किया जाता है।
- **डिजिटल सुरक्षा :**
  - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023।
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act)।
  - भारतीय न्याय संहिता (BNS), जिसके अंतर्गत ऑनलाइन अपराधों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

आगे की राह

- **शिक्षा को रोजगार से जोड़ना:** सवेतन इंटर्नशिप एवं प्रशिक्षुता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। साथ ही युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था से संबंधित कौशल प्रदान किए जाने चाहिए।
- **गिग एवं अनौपचारिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना:** गिग एवं अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। लाभों को हस्तांतरणीय बनाया जाना चाहिए, ताकि श्रमिकों के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने पर भी उनकी सुविधाएँ जारी रहें।
- **युवाओं के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं का विकास:** मानसिक स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता, यौन शिक्षा और गर्भनिरोधक साधनों के व्यापक विकल्पों को शामिल करते हुए गोपनीय एवं भेदभावरहित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
- **युवाओं को वास्तविक निर्णयकारी शक्ति प्रदान करना:** सहभागी बजट निर्माण , निर्णयकारी निकायों में युवाओं के प्रतिनिधित्व तथा प्रमुख नीतियों के मूल्यांकन में अंतर-पीढ़ीगत समानता के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए।

- **डिजिटल वातावरण को सुरक्षित बनाना:** ऑनलाइन दुर्व्यवहार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा ऑनलाइन उत्पीड़न की रोकथाम में पुरुषों एवं लड़कों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए।
- **पिछड़े राज्यों में निवेश बढ़ाना:** उन राज्यों एवं जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जहाँ परिवार नियोजन सेवाओं की अपूर्ण आवश्यकता अधिक है तथा स्वास्थ्य प्रणालियाँ कमजोर हैं।
- **युवा-नेतृत्व वाले संगठनों को वित्तीय सहायता:** युवा-नेतृत्व वाले संगठनों को स्थिर एवं बहुवर्षीय वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसमें बालिकाओं और दिव्यांग युवाओं से संबंधित संगठनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्रोत: TOI

पराली दहन के आकलन में केवल खेतों में आग लगने की घटनाओं की गणना से आगे बढ़ना

संदर्भ

- वर्ष 2026 के खरीफ फसल कटाई मौसम के दौरान उपग्रह आँकड़ों के अनुसार, उत्तर भारत में खेतों में आग लगने की कुल 16,070 घटनाएँ दर्ज की गईं।

परिचय

- **पराली दहन :** फसल की कटाई के बाद खेतों में बची फसल अवशेषों (पौधों के निम्न हिस्सों सहित) को जलाने की प्रक्रिया को पराली दहन कहा जाता है।
- यह प्रथा उत्तर-पश्चिमी भारत में अक्टूबर की शुरुआत से नवंबर के अंत तक व्यापक रूप से प्रचलित है।
  - पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से इससे सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं।
- पराली जलाने से बड़ी मात्रा में सूक्ष्म कण , कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) तथा अन्य कैंसरकारी तत्त्व उत्सर्जित होते हैं। ये मिलकर घने धुंध का निर्माण करते हैं, जिसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- इससे नाइट्रोजन, सल्फर, पोटाश, फॉस्फोरस तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी के कारण मिट्टी की उर्वरता में भी गिरावट आती है।
- पराली जलाने से उत्पन्न ऊष्मा मृदा की आर्द्रता और जैविक पदार्थों को कम करती है। इसके परिणामस्वरूप आगामी फसल के चक्र में उर्वरकों के अधिक उपयोग की आवश्यकता पड़ती है।

पराली दहन क्यों जारी है?

- **पंजाब परिरक्षण भूजल अधिनियम, 2009 :** भूजल संरक्षण के उद्देश्य से धान की रोपाई में देरी की गई। इसके परिणामस्वरूप फसल की कटाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर तक पहुँच जाती है तथा गेहूँ की बुवाई के लिए केवल 10-15 दिनों का समय बचता है।
- **यंत्रीकृत कटाई :** कंबाइन हार्वेस्टर कटाई के बाद खेतों में काफी मात्रा में फसल अवशेष छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें हाथों से हटाना श्रमसाध्य और महँगा होता है।
- **प्रबंधन की उच्च लागत :** फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित मशीनें महँगी होती हैं। इसके अतिरिक्त, किराये पर मशीनों की उपलब्धता तथा फसल अवशेष प्रसंस्करण उद्योगों तक पहुँच भी सभी क्षेत्रों में समान नहीं है।
- **फसल प्रतिरूप :** सुनिश्चित सरकारी खरीद और सिंचाई सुविधाओं से समर्थित धान-गेहूँ फसल चक्र के कारण बड़ी मात्रा में फसल अवशेष एक निश्चित अवधि में उत्पन्न होते हैं।

पराली दहन की निगरानी में चुनौतियाँ

- **सीमित अवलोकन अवधि :** ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह केवल निर्धारित समय पर ही तस्वीरें लेते हैं। इसके कारण देर दोपहर और शाम के समय लगने वाली आग का पता नहीं चल पाता।
- **अल्प अवधि तक जलने वाली आग :** कृषि क्षेत्रों में लगने वाली अनेक आग की घटनाएँ 30 मिनट से भी कम समय तक रहती हैं तथा दो उपग्रह अवलोकनों के बीच ही शुरू होकर समाप्त हो सकती हैं।
- **छोटे स्तर पर पराली जलाना :** छोटे आकार और कम तीव्रता वाली आग से पर्याप्त तापीय संकेत उत्पन्न नहीं होते, जिसके कारण उपग्रहों द्वारा उनका पता लगाना कठिन होता है।
- **आंशिक दहन :** फसल अवशेषों के अपूर्ण दहन से कमजोर तापीय संकेत उत्पन्न होते हैं, जिससे आग की घटनाओं का पता लगाना कठिन हो जाता है।
- **बादलों का आवरण:** बादल और धुंध उपग्रहों के अवलोकन में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दर्ज की गई आग की घटनाओं की संख्या कम हो सकती है।

पराली दहन की समस्या के समाधान हेतु सरकारी पहलें

- **फसल अवशेष प्रबंधन योजना (CRM Scheme):** इस योजना के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली जैसे राज्यों में पराली दहन को रोकने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है।

- वर्ष 2023-24 से इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
- इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 60:40 के वित्तपोषण अनुपात का प्रावधान है।

- **- फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी पहलें :** भारत में इन पहलों का उद्देश्य सब्सिडी आधारित मशीनों, बायोमास आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा नियामक प्रवर्तन के माध्यम से कृषि अवशेषों को जलाने की प्रथा पर अंकुश लगाना है।
  - इसका विशेष उद्देश्य उत्तर भारत के राज्यों और दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना है।
- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM):** यह दिल्ली-NCR और आसपास के क्षेत्रों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न उपायों के बीच समन्वय स्थापित करता है।
  - यह निगरानी, नियामक प्रवर्तन तथा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए संबंधित राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को आवश्यक निर्देश जारी करता है।
- **पराली संरक्षण बल :** केंद्र सरकार ने NCR के 14 जिलों की 70 तहसीलों में पराली संरक्षण बलों के माध्यम से सक्रिय निगरानी पर बल दिया है।
  - वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस उद्देश्य से 544.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  - इसके अंतर्गत 46,000 से अधिक मशीनों के वितरण तथा पराली आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित 141 परियोजनाओं के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **राज्य स्तरीय पहलें :** हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली जलाए बिना फसल अवशेषों का प्रबंधन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 'पराली प्रोत्साहन योजना' प्रारंभ की है।

आगे की राह

- **लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करना:** छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि मशीनों की खरीद, फसल अवशेषों के संग्रहण तथा परिवहन के लिए लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- **आधुनिक कृषि तकनीकों का विस्तार:** हैप्पी सीडर , सुपर सीडर तथा मल्चिंग तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि फसल अवशेषों को मृदा में ही समाहित किया जा सके।
- **खेतों के बाहर उपयोग के लिए बाजार विकसित करना:** बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - संपीड़ित बायोगैस , जैव-इथेनॉल तथा बायोचार के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  - कागज एवं पैकेजिंग उद्योगों में कृषि अवशेषों के उपयोग को प्रोत्साहित कर उनकी व्यावसायिक माँग उत्पन्न की जानी चाहिए।
- **जले हुए क्षेत्र का मानचित्रण :** सक्रिय आग की घटनाओं की गणना के साथ-साथ उपग्रह आधारित जले हुए क्षेत्र के आकलन को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए, ताकि पराली दहन से प्रभावित भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल का अनुमान लगाया जा सके।

स्रोत: IE

दिल्ली के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधियाँ, 2026

संदर्भ

- दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति ने संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधियाँ, 2026 को स्वीकृति प्रदान की है।

संशोधित उपविधियों के प्रमुख प्रावधान

- **उच्च एवं श्रेणीबद्ध जुर्माना :** विभिन्न वर्तमान उल्लंघनों के लिए जुर्माने की राशि में लगभग 50% से 150% तक की वृद्धि की गई है।



- **बड़े आयोजनों का विनियमन :** बिना लाइसेंस वाले स्थलों पर 100 से अधिक लोगों की भागीदारी वाले आयोजनों के आयोजकों को दिल्ली नगर निगम को सूचित करना तथा निर्धारित अनुमतियाँ प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
  - आयोजकों को निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करनी होंगी:
    - आयोजन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट का पृथक्करण।
    - अलग-अलग रंगों के चिह्नित कूड़ेदानों की व्यवस्था।
    - अपशिष्ट के संग्रहण एवं उचित निपटान की व्यवस्था।

- **मासिक अपशिष्ट उपयोगकर्ता शुल्क :** संशोधित उपविधियों में अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निपटान से संबंधित लागत की भरपाई के लिए मासिक उपयोगकर्ता शुल्क का प्रावधान किया गया है।
  - यह शुल्क संपत्ति के आकार, श्रेणी तथा प्रतिष्ठान के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होगा।
- **वार्षिक शुल्क वृद्धि एवं बार-बार उल्लंघन पर दंड:** प्रत्येक आगामी वर्ष की 1 जनवरी से जुर्माने तथा अपशिष्ट उपयोगकर्ता शुल्क में स्वतः 5% की वृद्धि होगी।
- **विलंबित भुगतान पर अधिभार :** मांग जारी होने के 30 दिनों के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर 10% अतिरिक्त अधिभार लगाया जाएगा।

भारत में ठोस अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति

- वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रतिदिन लगभग 1,70,000 टन नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पन्न हुआ।
- इसमें से लगभग 1,56,000 टन अपशिष्ट का संग्रहण किया गया।
- एकत्रित अपशिष्ट में से लगभग 54% का प्रसंस्करण किया गया, जबकि 24% अपशिष्ट को लैंडफिल स्थलों में डाला गया।
- शेष 22% अपशिष्ट का कोई स्पष्ट लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं था। इसका प्रमुख कारण अपशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला में विद्यमान रिसाव एवं कमियाँ थीं।
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के वर्ष 2021 के अनुसार, वर्ष 2050 तक भारतीय शहरों में लगभग 43.5 करोड़ टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होने का अनुमान है।
- देश में वर्तमान में केवल 645 लैंडफिल स्थल संचालित हैं तथा वर्तमान डंपसाइट्स (अपशिष्ट निस्तारण स्थल) की कुल संख्या 2,452 है।

अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमुख कठिनाइयाँ क्या हैं?

- **उपभोग के बदलते स्वरूप :** पैकेज्ड खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों तथा बहुस्तरीय प्लास्टिक का उपयोग बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-जैव-अपघटनीय अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- **उच्च संग्रहण लागत :** बिखरी हुई बस्तियों, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, खराब सड़कों तथा पुनर्चक्रण केंद्रों से अधिक दूरी के कारण अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन की लागत बढ़ जाती है।
- **खुले में अपशिष्ट फेंकना :** औपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के अभाव में अपशिष्ट को खेतों, जल निकायों में फेंक दिया जाता है अथवा खुले में जला दिया जाता है। इससे मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है।
- **स्रोत पर अपर्याप्त पृथक्करण :** घरों में गीले, सूखे, स्वच्छता संबंधी तथा घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को प्रायः एक साथ मिला दिया जाता है। इससे पुनर्चक्रण, खाद निर्माण तथा वैज्ञानिक प्रसंस्करण की प्रक्रिया कठिन हो जाती है।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नियामक ढाँचा

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:** ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं।
  - इनमें ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा वैज्ञानिक निपटान के लिए राष्ट्रीय स्तर का नियामक ढाँचा प्रदान किया गया है।
- **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत :** इस सिद्धांत के अनुसार, अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों एवं प्रदूषकों को पर्यावरणीय क्षति की रोकथाम तथा उसके प्रबंधन से संबंधित लागत का वहन करना चाहिए।
- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व :** इसके अंतर्गत उत्पादकों, आयातकों तथा ब्रांड स्वामियों को अपने उत्पादों एवं उनकी पैकेजिंग से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
- **स्वच्छ भारत मिशन :**
  - **SBM-शहरी:** इसका उद्देश्य घर-घर से 100% अपशिष्ट संग्रहण सुनिश्चित करना तथा अपशिष्ट के स्रोत पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करना है।
  - **SBM-ग्रामीण:** इसके अंतर्गत गाँवों में जैव-अपघटनीय अपशिष्ट से खाद बनाने तथा बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाता है।

आगे की राह

- **स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण :** घरेलू स्तर पर गीले, सूखे, स्वच्छता संबंधी तथा घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए अलग-अलग संग्रहण एवं परिवहन प्रणालियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- **जन-जागरूकता अभियान:** अपशिष्ट के पृथक्करण, जिम्मेदार उपभोग तथा 3R सिद्धांतों—कम उपयोग करना (Reduce), पुनः उपयोग करना (Reuse) और पुनर्चक्रण करना (Recycle)—के संबंध में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी:** अपशिष्ट के मिश्रण, अवैध निस्तारण तथा खुले में अपशिष्ट जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए GPS-सक्षम अपशिष्ट संग्रहण वाहनों, डिजिटल निगरानी एवं नियमित लेखा-परीक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

रानी लक्ष्मीबाई

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की 198वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रारंभिक जीवन

- रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वर्ष 1828 में वाराणसी में मणिकर्णिका तांबे के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे तथा माता का नाम भागीरथी सापरे था।
- उनका पालन-पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में हुआ, जहाँ वे नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ बड़ी हुईं।
- उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो उस समय लड़कियों के लिए एक असामान्य बात थी।
- वर्ष 1842 में उनका विवाह झाँसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, जिसके बाद उन्होंने लक्ष्मीबाई नाम धारण किया।

अंग्रेजों ने झाँसी पर अधिकार क्यों किया?

- वर्ष 1851 में उनके नवजात पुत्र की मृत्यु हो गई।
- नवंबर 1853 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले राजा गंगाधर राव ने दामोदर राव को गोद लिया।
- लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता देने से मना कर दिया।
- व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत वर्ष 1854 में झाँसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया।
- कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने इसके विरोध में घोषणा की थी— **"मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी।"**

वर्ष 1857 के विद्रोह में भूमिका

- **नेतृत्व एवं नियंत्रण :** जब विद्रोह बुंदेलखंड तक फैल गया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने झाँसी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने सेना का गठन किया तथा किले की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया।
- **महिला सैन्य दल :** उन्होंने दुर्गा दल नामक महिला सैन्य इकाई का गठन किया, जिसमें झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएँ शामिल थीं। इसे प्रायः आजाद हिंद फौज (INA) की रानी झाँसी रेजिमेंट के लिए प्रेरणास्रोत माना जाता है।
- **झाँसी का घेराव (मार्च-अप्रैल 1858):** उन्होंने सर ह्यूग रोज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना का वीरतापूर्वक सामना किया। इसके बाद वे दामोदर राव के साथ वहाँ से निकलने में सफल रहीं।
- **ग्वालियर:** उन्होंने कालपी में तात्या टोपे के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। जून 1858 में दोनों ने मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया।
- **वीरगति :** 17 या 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोटा-की-सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। कहा जाता है कि ब्रिटिश सेनापति ह्यूग रोज ने भी उनके साहस और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की थी।

स्रोत: TH

पिछवाई चित्रकला

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करने वाली स्वर्णिम पिछवाई चित्रकला भेंट की।

पिछवाई चित्रकला के बारे में

- **उत्पत्ति:** पिछवाई चित्रकला की उत्पत्ति राजस्थान के नाथद्वारा में हुई। यह पारंपरिक वस्त्र चित्रकला की एक विशिष्ट शैली है।
- **विशेषताएँ:** यह अपनी सूक्ष्म चित्रकारी, जीवंत रंगों तथा उत्कृष्ट स्वर्णिम अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है।
- **प्रमुख आकृतियाँ एवं प्रतीक:** इस चित्रकला में कमल, गाय और वृक्ष जैसी आकृतियों का चित्रण किया जाता है।
- **सांस्कृतिक महत्त्व:** यह कलाकृति सदियों पुरानी शिल्प परंपरा तथा पारंपरिक कारीगरों के कौशल को प्रदर्शित करती है।
- इसका स्वर्णिम स्वरूप इसे राजसी भव्यता प्रदान करता है तथा यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक है।



स्रोत: BT

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम

समाचार में

- केरल के गृह मंत्री ने नाबालिगों से जुड़े हिंसक अपराधों में वृद्धि का उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार से किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम

- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 ने वर्ष 2000 के अधिनियम का स्थान लिया तथा यह 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ।
- यह बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, गरिमा एवं कल्याण सुनिश्चित करने वाला प्रमुख कानून है।
- इसका प्रशासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- इस अधिनियम ने अपराध के आरोपी बच्चों को मुख्य रूप से ऐसे बच्चों के रूप में मान्यता देकर उनके कानूनी संरक्षण को सुदृढ़ किया, जिन्हें सुधार, पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण की आवश्यकता है, न कि वयस्क अपराधियों के रूप में देखा जाना चाहिए।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस अधिनियम के अंतर्गत 16-18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे किशोरों, जिन पर जघन्य अपराध करने का संदेह हो, को किशोर न्याय बोर्ड (JJB) द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद वयस्कों के समान न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत विचारण का सामना करना पड़ सकता है।
  - इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि किशोरों पर केवल अत्यंत गंभीर अपराधों के मामलों में वयस्कों के समान मुकदमा चलाया जा सकता है, जिनमें अपराध के लिए न्यूनतम सात वर्ष के कारावास का प्रावधान हो।
- इससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराधों के आरोपी बच्चों को वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली से संरक्षण प्राप्त हो।
  - इस अधिनियम ने अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया।
  - इसके अतिरिक्त, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

स्रोत: IE

भारत में टेलीविजन प्रसारण का बदलता स्वरूप

समाचार में

- टेलीविजन माध्यम की वैश्विक भूमिका और महत्त्व को रेखांकित करने के लिए विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है।

विश्व टेलीविजन दिवस

- प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है।
- वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर इसकी घोषणा की गई थी।
- इसका उद्देश्य सूचना प्रदान करने, शिक्षा देने, जनमत को प्रभावित करने तथा संचार एवं वैश्विक समझ को बढ़ावा देने में टेलीविजन की महत्त्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना है।

प्रसारण

- प्रसारण से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक ऑडियो एवं वीडियो सामग्री का व्यवस्थित संचार करना है।
- टेलीविजन प्रसारण में ध्वनि एवं गतिशील चित्रों का संयोजन करके समाचार, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराया जाता है।
- पिछले कई दशकों में तकनीकी प्रगति के कारण स्थलीय , उपग्रह , केबल तथा इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी पहुँच का विस्तार हुआ है।
- इसने टेलीविजन को जनसंचार का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बना दिया है।



उपलब्धियाँ

- **1970 का दशक:** वर्ष 1970 के दशक का मध्य भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकारी दौर था।

- **उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग (SITE), 1975-76:** इस प्रयोग में उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके छह राज्यों के गाँवों तक शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।
  - इसका उद्देश्य शिक्षा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था।
- **INSAT प्रणाली का विकास:** INSAT प्रणाली के आगमन के साथ देशव्यापी प्रसारण सेवाओं का और अधिक विस्तार हुआ।
  - INSAT-1A को अप्रैल 1982 में प्रक्षेपित किया गया।
  - INSAT-1B अक्टूबर 1983 में पूरी तरह से परिचालन में आया।
- **रंगीन प्रसारण :** दूरदर्शन ने 15 अगस्त 1982 को रंगीन टेलीविजन प्रसारण प्रारंभ किया।
  - नवंबर 1982 में आयोजित एशियाई खेलों के सीधे प्रसारण ने इसे व्यापक लोकप्रियता प्रदान की।
- **डायरेक्ट-टू-मोबाइल प्रसारण (D2M):** इसमें स्थलीय प्रसारण अवसंरचना का उपयोग करके वीडियो, ऑडियो एवं डेटा को सीधे अनुकूल मोबाइल उपकरणों तक पहुँचाया जाता है।
  - इसके लिए सिम कार्ड अथवा मोबाइल डेटा कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है।

क्या आप जानते हैं?

- उपग्रह आधारित टेलीविजन सेवाएँ उपग्रहों और पृथ्वी के बीच संकेतों के प्रसारण के लिए रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम के विशिष्ट भागों का उपयोग करती हैं।
- **Ku-बैंड :** यह एक प्रमुख आवृत्ति बैंड है, जिसका उपयोग सामान्यतः डायरेक्ट-टू-होम (DTH) प्रसारण में किया जाता है।
- यह सामान्यतः 12-18 GHz की आवृत्ति सीमा में कार्य करता है।
  - DTH सेवाएँ डाउनलिंक प्रसारण के लिए सामान्यतः 10.7-12.75 GHz के आसपास की आवृत्तियों का उपयोग करती हैं। यह संबंधित प्रणाली एवं क्षेत्रीय आवंटन पर निर्भर करता है।
- इसकी अपेक्षाकृत उच्च आवृत्तियों के कारण उपभोक्ताओं के परिसर में छोटे डिश एंटीना का उपयोग संभव होता है।
- हालाँकि, Ku-बैंड के संकेत भारी वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके कारण प्रसारण अस्थायी रूप से बाधित हो सकता है।

स्रोत :PIB

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA), 2026

संदर्भ

- पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA), 2026 के विजेताओं की घोषणा की है।
  - मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 2026 के अवसर पर पटना, बिहार में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।

परिचय

- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA), पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के अंतर्गत, विभाग वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान कर रहा है।
  - वर्ष 2014 में शुरू किया गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM), देशी गोवंशीय नस्लों के वैज्ञानिक संरक्षण एवं विकास पर केंद्रित है।
- **ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं:**
  - देशी गाय एवं भैंस की नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान।
  - सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति (DCS) / दुग्ध उत्पादक कंपनी (MPC) / डेयरी किसान उत्पादक संगठन (FPO)।
  - सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (AIT)।
- प्रत्येक श्रेणी में पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) और हिमालयी राज्यों के लिए एक विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।
- **पुरस्कार राशि:** सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान तथा सर्वश्रेष्ठ DCS/MPC/FPO श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः ₹5 लाख, ₹3 लाख और ₹2 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।
  - विशेष पुरस्कार के अंतर्गत ₹2 लाख की राशि प्रदान की जाती है।
- कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (AIT) श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार के बजाय योग्यता प्रमाण-पत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किया जाता है।

स्रोत: PIB

■■■■